भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **3871**
दिनांक 18 मार्च , 2021 / 27 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन क्षेत्र में किराया संबंधी प्रतिस्पर्धा

3871. डॉ. अमर सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन उद्योग विमान ईंधन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि, अत्यधिक पार्किंग और लैडिंग प्रभार, किराया संबंधी प्रतिस्पर्धा आदि के कारण प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किराया संबंधी प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): ब्रेंट क्रूड ऑयल का मूल्य और एविएशन टर्बाइन (जेट) फ्यूल (एटीएफ) का मूल्य मार्च 2021 की पहली छमाही तक पूर्व-कोविड -19 अवधि के स्तर के समीप पहुंच गया है जो प्रति बैरल 66 यूएस डॉलर / 59,977 प्रति केएल भारतीय रुपये के आसपास है (दिल्ली हवाईअड्डा टर्मिनल-1 पर)। अक्टूबर 2018 में एटीएफ पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 14% से घटाकर 11% कर दिया गया था,जबकि एटीएफ पर हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा लगाया गया ईंधन थ्रूपुट (एयरपोर्ट ऑपरेटर) प्रभार 15 जनवरी 2020 से पूरे भारत के सभी हवाईअड्डों, हवाईपट्टियों और हेलीपोर्टों पर निरस्त कर दिया गया। 10 वर्ष की अवधि के लिए आरसीएस हवाईअड्डों पर एयरलाइनों द्वारा आहरित एटीएफ पर लगाए गए बिक्री कर / वैट को 1% या उससे कम करने के अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों ने गैर-आरसीएस-उड़ान परिचालनों पर एटीएफ पर लागू कर को 5% तक घटा दिया है।

सरकार ने एविएशन सब-सेक्टर्स के लिए बढ़ी लागत प्रतिस्पर्धा हेतु कर व्यवस्था को पर्याप्त रूप से तर्कसंगत बनाया है। अन्य नीतिगत सुधारों के साथ युग्मित, इन उपायों ने भारतीय विमानन को वैश्विक महामारी से संबंधित प्रतिकूलताओं का सामना करने में सक्षम बना दिया है।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) अधिनियम 2008 द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रमुख हवाईअड्डों पर लागू टैरिफ निर्धारित किए जाते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के गैर-प्रमुख हवाईअड्डों पर शुल्क, जो लंबे समय से अपरिवर्तित थे, को मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 01.10.2020 से प्रभावी किया गया है।

एयरलाइनों का विमान किराया, बाजार द्वारा निर्धारित होता है, और पारदर्शिता के लिए चयनित मार्गों पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता हैं कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से अधिक विमान किराया नहीं वसूलें। कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति से निपटने के लिए, यात्री हितों की रक्षा करने और विमानन क्षेत्र के वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 21 मई 2020 के अपने आदेश के तहत उड़ान की अनुमानित अवधि एवं निर्धारित किराया बैंड के आधार पर क्षेत्रों को वर्गीकृत किया है, और उस क्षेत्र पर यात्रियों से अनुसूचित घरेलू एयरलाइन प्रचालकों द्वारा अधिकतम और न्यूनतम इकोनोमी श्रेणी के नियत किराया बैंड को इंगित करता है। आदेश को समय-समय पर आगे बढ़ाया गया है और संशोधित किराया बैंड को निर्धारित किया गया है एवं यह 31 मार्च 2021 या अगले आदेश तक लागू रहेगा। विमान किराया पर दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं कि एयरलाइन यात्रियों से अत्यधिक विमान किराया न वसूलें।

*****